अध्याय I: परिचय

1.0 आर्मी बेस वर्कशॉपों का आदेशपत्र

आर्मी बेस वर्कशॉपों (एबीडब्लू) की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शस्त्रों, वाहनों एवं उपकरणों की मरम्मत एवं ओवरहाल[1] के लिए हुई थी ताकि, भारतीय सेना को सामरिक तौर पर तैयार रखा जा सके। हर समय भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए, शस्त्रों और उपकरणों के ओवरहाल की योजनाबद्ध तथा एक व्यापक क्रियान्वयन प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए, जो उपकरण पर आयु, प्रयोग के प्रभाव को तटस्थ कर दे तथा शस्त्र प्रणाली/उपकरणों को झिरो आवर, झिरो किलोमीटर[2] जैसी सामरिक परिस्थिती में पुनः स्थापित कर दे। आठ आर्मी बेस वर्कशॉप हैं, जिनमें से सात उपकरण/शस्त्रों के मरम्मत एवं ओवरहाल के लिए उत्तरदायी है एवं एक वर्कशॉप यथा 515 एबीडब्लू को देशीकरण तथा पुर्जों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। आठ एबीडब्ल्यू के स्थान तथा आदेशपत्र को तालिका-1 दर्शाता है।

तालिका 1: आठ आर्मी बेस वर्कशॉप का स्थान तथा आदेश पत्र

वर्कशॉप	स्थान	आदेश-पत्र
505 एबीडब्ल्यू	दिल्ली	टैंक टी-72 और उसके इंजन, स्केनिया वाहन और उसके इंजन तथा एएम-50 ब्रीजिंग प्रणाली का डिपो स्तर पर मरम्मत करना
506 एबीडब्ल्यू	जबलपुर (मध्यप्रदेश)	छोटे शस्त्रों एवं मोटरों की मरम्मत करना
507 एबीडब्ल्यू	काकीनाड़ा (पश्चिम बंगाल)	स्कैनिया वाहनों/क्राज वाहनों की मरम्मत करना
508 एबीडब्ल्यू	इलाहाबाद, (उत्तरप्रदेश)	टाट्रा एवं स्कैनिया वाहनों की मरम्मत करना
509 एबीडब्ल्यू	आगरा (उत्तरप्रदेश)	सूचना प्रणाली, रडारों, ऑप्टिकल जिसमें विभिन्न साइटों एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण और शक्ति उपकरण (जेनेरेटरों) समाविष्ट हैं, की मरम्मत एवं ओवरहाल करना।
510 एबीडब्ल्यू	मेरठ (उत्तरप्रदेश)	रक्षा वायु के शस्त्र प्रणाली, सैनिक शस्त्र प्रणाली, बन्दूक एवं विशेष वाहनों तथा अभियांत्रिक उपकरण की मरम्मत तथा ओवरहाल करना।
512 एबीडब्ल्यू	खड़की,पुणे (महाराष्ट्र)	आईसीवी बीएमपी II एवं उसके विभिन्न प्रकार, आर्मर्ड रिकवरी वाहन एवं सभी एएफवी इंजिनों की मरम्मत एवं ओवरहाल करना।
515 एबीडब्ल्यू	बैंगलोर (कर्नाटक)	फील्ड आर्मी के लिए पुर्जों का उत्पादन(देशीकरण), सिम्युलेटरों का उत्पादन तथा वैमानन रोटेबलों का ओवरहाल करना।

1.1 संगठनात्मक संरचना

सेनाध्यक्ष के अधीन कार्यरत आयुध के मास्टर जनरल (एमजीओ), युद्ध तथा शांति के दौरान भारतीय सेना को शस्त्रों, गोला-बारूदों, उपकरणों, वाहनों तथा पुर्जों की सर्वोत्तम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। एमजीओ को, महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग (डीजीईएमई), आयुध सेवा के महानिदेशक (डीजीओएस), उपकरण प्रबंधन के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीईएम) एवं अधिप्राप्ति के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी प्रोक) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बेस वर्कशॉप ग्रुप (बीडब्ल्यूजी), डीजीईएमई के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है तथा आर्मी बेस वर्कशॉपों (एबीडब्ल्यू) पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण करने का कार्य करता है। बीडब्ल्यूजी दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करने, एबीडब्ल्यू के

[1]**ओवरहाल** – ओवरहाल एक क्रिटिकल प्रकार्य है,जो उपकरण की सुसज्जता तथा उसकी आयु, प्रयोग के प्रभाव पुनः नए रुप में प्रतिस्थापित करना है। इस कार्य को करते हुए उपकरण को पूरा खोला जाता है तथा उसके घिसे हुए/टूटे भागों को बदलकर, मरम्मत कर फिर से बनाया जाता है और उन एसेम्बलीज़ को बदलना जिनकी आयु समाप्त हो गई थी।

[2]**झिरो आवर, झिरो किलोमीटर**- ओवरहाल प्रक्रिया के द्वारा शस्त्र पद्धति को नई स्थिति के करीब लाते हुए प्रतिस्थापित करना।

पास मौजूद स्रोतों को प्रयुक्त करने, ओवरहाल किए गए उपकरणों की गुणवत्ता जाँच तथा एबीडब्ल्यू के अंतर्गत मानवशक्ति का आबंटन तथा पुन: वर्गीकरण के लिए जिम्मेवार है।

एमजीओ विविध आंतरिक एजन्सियों अर्थात **डीजीईएमई** - भारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्कशॉपों में क्षमताओं को प्रदान करना, **डीजीओएस**- पुर्जों की उपलब्धता के लिए, **डीजी मॅकेनाइज्ड फोर्स तथा अन्य प्रयोक्ता निदेशालय**- मरम्मत योग्य[3] उपकरण की उपलब्धता के लिए तथा बाह्य एजन्सियाँ अर्थात **आयुध फैक्टरी बोर्ड, रक्षा पीएसयू तथा अन्य पीएसयू**-भारतीय सेना के उपकरणों की फ्लीट तथा शस्त्रों के ओवरहाल तथा रखरखाव के लिए नियत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पुर्जों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रकार्यों के जरिए कार्य करता है। ओवरहाल में शामिल एजन्सियों तथा उनकी जिम्मेवारियों को विस्तृत रूप से चार्ट-1 में दिया गया है।

चार्ट 1: सेना के उपकरण तथा शस्त्रों के ओवरहाल में शामिल एजन्सियाँ

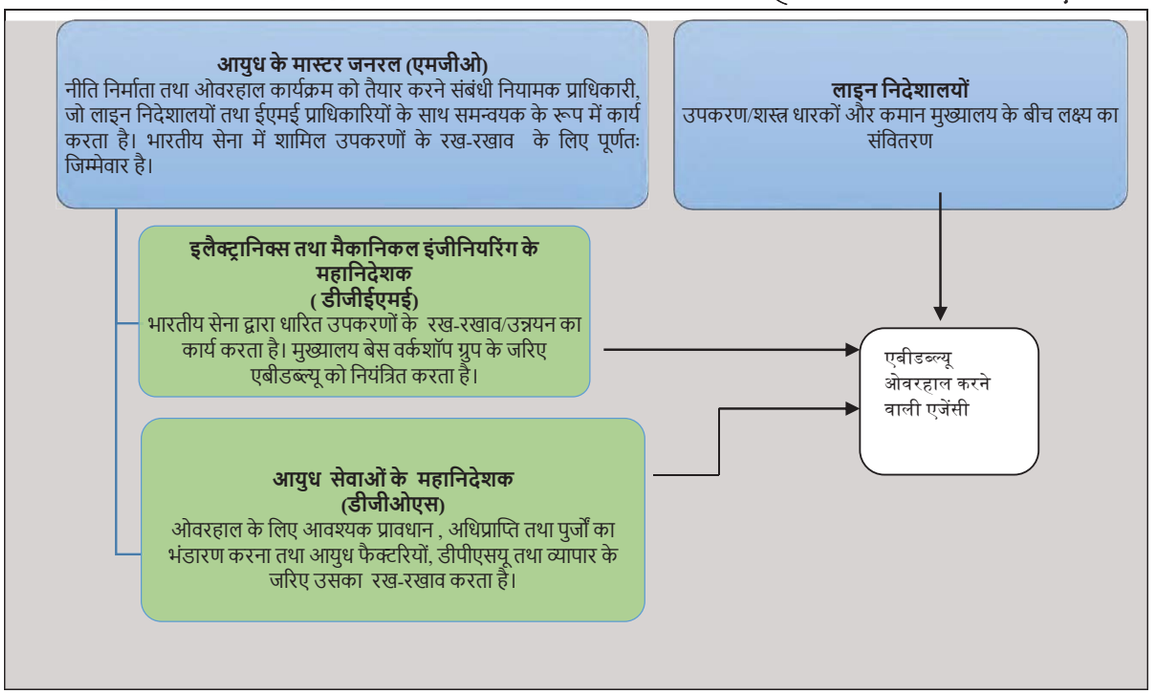

1.2 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं मंत्रालय की प्रतिक्रिया

1992 की प्रतिवेदन संख्या 14 में आर्मी बेस वर्कशॉप के पुनरीक्षण की चर्चा की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया जिसमें, मरम्मत तकनीकों के प्रगतिशील उन्नयन व एबीडब्ल्यू में स्वचलन के बावजूद मात्र मानवशक्ति के संदर्भ में वर्कशाप की क्षमताओं को निर्धारित करना तथा मरम्मत योग्य उपकरणों के उपलब्ध न होने तथा पुर्जों के खराब बैकअप के कारण उपलब्ध क्षमताओं को पूर्णत: प्रयोग मे नहीं लाया जा सकना इत्यादि बातों का समावेश था।

मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई की गई टिप्पणी (अगस्त 2000) में बताया कि, वर्कशॉप देशज तथा आयातीत उपकरण से सरोकार रखते हैं और चूँकि देशज उपकरण के विषय में पुर्जों की उपलब्धता बेहतर थी, एबीडब्ल्यू में मानव शक्ति तथा उपकरण की उपयोगिता, जो देशज उपकरण से संबंध रखती है, वह अधिक

[3]**मरम्मत योग्य**- उपकरण, जो एबीड्ब्ल्यू में ओवरहाल प्रकार्य के लिए देय है। यह कार्य फील्डिग डिपो से ओवरहाल के लए देय उपकरण को प्राप्त होने के बाद ही शुरु होता है।

देखी गई। मानक श्रम घंटों के आधार पर वर्कशाप के कार्य करने की क्षमताओं का आकलन करने के बारे में यह बताया गया कि, यह एक मानक पद्धति है।

2005 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 अनुच्छेद संख्या 3.1 के तहत एबीडब्लू के कार्यचालन का फिर से पुनरीक्षण एवं टिप्पणी की गई थी। इस प्रतिवेदन में ओवरहाल के लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक खराब प्रदर्शन, क्षमता की उपयोगिता को बढ़ा चढ़ा कर कहना, पुर्जों की अनुपलब्धता, ओवरहाल में विलम्बन, मानवशक्ति का खाली होना तथा ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में हुई देरी इत्यादि बातों को अंकित किया गया था। अपनी की गई कार्रवाई की टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2006) कि, पुर्जों के प्रबन्धन के लिए, कई सारे कदम जैसे कि पुर्जों की तिमाही समीक्षा बैठक को आयोजित करना, लक्ष्य निर्धारण तथा मध्यावधि समीक्षा बैठक, ओवरहाल के वादों की मॉनिटरिंग तथा आयुध शाखा से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए एक विशेष कार्य दलके गठन आदि लिए जाऐंगे।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

ओवरहाल की समयबद्धता, आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों को समय पर उपलब्ध करवाना तथा मरम्मत की गुणवत्ता के संबंध में वर्कशापों की प्रभावशालिता का आकलन करने के लिए 'आर्मी बेस वर्कशापों के कार्यचालन' को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लिया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के पूर्व पुनरीक्षणों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों में दिए गए आश्वासनों की स्थिति को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा ने देखा। विशिष्ट रूप से लेखापरीक्षा ने यह पुनरीक्षण किया :

- क्या आर्मी बेस वर्कशॉप अपने कर्तव्यों को मितव्ययी, कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता से निभा सकी थी ?
- क्या आर्मी बेस वर्कशॉप में उपलब्ध आधारभूत संरचना पर्याप्त थी और क्या उनका समयानुसार आधुनिकीकरण किया गया था?
- ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों को क्या भंडारों द्वारा समय पर प्रावधान करवाया गया और क्या आपूर्ति एजन्सियों से इसकी प्राप्ति समय पर होती थी?
- क्या ओवरहाल किए गए उपकरण स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते थे?

1.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

निष्पादन मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा मापदंड को निम्नांकित से लिया गया:

- आर्मी बेस वर्कशापों की प्रक्रिया।
- सेना मुख्यालयों में एमजीओ शाखा द्वारा तैयार किए गए पंच वर्षीय मरम्मत कार्यक्रम।
- सेना में शामिल किए गए उपकरण का प्रवेश स्वरुप तथा ओवरहाल चक्र ।
- डीजीईएमई, डीजीओएस, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, मानक परिचलन प्रक्रिया (एसओपी) तथा पत्र।
- 1992 की रिपोर्ट संख्या 14 तथा 2005 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 06 के पैरा 3.1 पर की गई कार्रवाई टिप्पणी ।
- विशेष प्रावधान समीक्षा निर्देश, तकनीकी अनुदेश तथा पुर्जों का प्रावधान करने के लिए डीजीओएस द्वारा तैयार की गई जारी करने की पद्धति।
- उपकरण के ओवरहाल के लिए डीजीईएमई द्वारा पुर्जों के लिए तैयार किए गए ओवरहाल मापन।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2010-2011 से 2015-2016 तक के छह वर्षों की अवधि को आवरित किया। यह लेखापरीक्षा नई दिल्ली में एमजीओ, डीजीईएमई एवं डीजीओएस तथा मेरठ में बीडब्ल्यूजी मुख्यालय में की

गई थी। आठ में से पाँच आर्मी बेस वर्कशापों अर्थात 505 एबीडब्ल्यू, नई दिल्ली, 509 एबीडब्ल्यू, आगरा, 510 एबीडब्ल्यू, मेरठ, 512 एबीडब्ल्यू, किरकी जो कि,भारतीय सेना के उपकरण की क्रिटिकॅलिटी पर आधारित थी तथा 515 एबीडब्ल्यू, बंगलुरु जो कि, पुर्जों के निर्मिति का एक मात्र वर्कशाप था, को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। फीडिंग आयुध डिपो (ओडी) अर्थात् सीएएफवीडी किरकी, सीओडी, दिल्ली तथा देहूरोड जो कि, संबंधित एबीडब्ल्यू को मरम्मतीय उपकरण तथा पुर्जों की आपूर्ति के लिए और एबीडब्ल्यू से ओवरहाल किए गए उपकरण को एकत्रित करने तथा उसे डीजीओएस के जारी करने के आदेशों के अनुसार युनिटों को जारी करने के लिए जिम्मेवार है, की भी लेखापरीक्षा की गई थी। ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया के लिए इन्फन्ट्री कॉम्बॅट वाहन (आयसीवी) की तीन[4] रेजिमेंटों तथा टैंक टी-72 के दो[5] ब्रिगेडों का लेखापरीक्षा ने निरीक्षण किया।

1.6 लेखापरीक्षा की कार्यविधि

रक्षा मंत्रालय के साथ 14 जुलाई 2015 को एन्ट्री कॉनफरेन्स संपन्न हुई। इसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य,कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि की चर्चा हुई एवं मापदंडों को स्वीकारा गया। लेखापरीक्षा मापदण्डों के द्वारा निष्पादन के मूल्याकंन के लिए चयनित एबीडब्ल्यू एवं आयुध डिपो में जुलाई 2015 से जनवरी 2016 के दौरान विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच की गई। फील्ड लेखापरीक्षा में,रिकार्डों का निरीक्षण, जारी किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों व उनके उत्तर तथा प्रश्नावलियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन समाविष्ट है। एमजीओ की अध्यक्षता में 11 नवम्बर 2016 को एग्झिट कॉनफरेन्स संपन्न हुई जिसमें रिपोर्ट में आने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

एमजीओ द्वारा भेजे गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के जवाबों को ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करते समय विचार में लिया गया था। मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है-
(i) आर्मी बेस वर्कशॉप की प्रभावकारिता (ii) आधारभूत संरचना एवं आधुनिकीकरण (iii) पुर्जों का प्रबंधन

1.8 आभार

हम एमजीओ, डीजीईएमई, डीजीओएस, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय, आर्मी बेस वर्कशाप, केन्द्रीय आयुध डिपों तथा डीजीएमएफ के तहत प्रयोक्ता युनिटों के अधिकारियों तथा स्टाफ के सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं।

[4]**मॅकनाइज्ड इनफन्ट्री रेजिमेन्ट- i)** 11 मॅक. इन्फ रेजिमेन्ट, **ii)** 20 मॅक. इन्फ रेजिमेन्ट और **iii)** 6 गार्ड्स
[5]**आर्मर्ड रेजिमेन्ट**- i) 16(स्वतंत्र) आर्मर्ड ब्रिगेड और ii) 3 (स्वतंत्र) ब्रिगेड